

क्रमांक:-प. 12(6)साप्र/2/2023

जयपुर, दिनांक: 27.12.23

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के 08 जिलों (अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, दौसा, धौलपुर, डीडवाना-कुचामनसिटी/नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर) में नगरीय निकायों के 08 सदस्यों के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह जनवरी, 2024 में करवाये जा रहें हैं (प्रति सलंगन)। उक्त नगरीय निकायों में मतदान दिनांक 10.01.2024 (बुधवार) को होगा। अतः मतदान दिवस दिनांक 10.01.2024 (बुधवार) को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है। साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(मनमोहन गौड़)
उप शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 4(2)(2)/नपा/रानिआ/2023/5483

दिनांक: 28.12.2023

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर), अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, दौसा, धौलपुर, नागौर/डीडवाना-कुचामन सिटी, पाली सवाईमाधोपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(अंजू वर्मा)
सहायक सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग